उत्तर प्रदेश शासन,
ग्राम्य विकास अनुभाग–5
संख्याः– 365/ अड्तीस–5–2012
लखनऊः दिनॉक 09 मई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुरूप जनपद स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाओं से सम्बन्धित निर्गत शासनादेश संख्या–2211/अड्तीस–5–10–20 स्वजल/ 2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2010 के क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या–250/ अड्तीस–5–2012 दिनांक 18 अप्रैल, 2012 के द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति में सदस्य सचिव के रूप में अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम एवं जिला विकास अधिकारी को उक्त समिति में सदस्य के रूप में नामित किया गया था।

2– तात्कालिक प्रभाव से शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 अप्रैल, 2012 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। अतएव, शासनादेश दिनांक 29 नवम्बर, 2010 से लागू पूर्ववर्ती व्यवस्था यथावत रहेगी, अर्थात जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य सचिव पूर्व की भॉति जिला विकास अधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम सदस्य के रूप में नामित रहेंगे।

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या – 365/अड़तीस–5–11–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. सचिव पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, कृषि, लघु सिंचाई, माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, सूचना, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
6. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो0 इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, झांसी एवं चित्रकूटधाम मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11. समस्त जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
12. ग्राम्य विकास अनुभाग 1/3
13. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2
14. सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(दिनेश प्रताप सिंह)
उप सचिव

D:\2 Joshi\2011\SO p\UO.doc